

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान जयपुर
"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर - 302015

(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई मेल : aao2.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- F3(क)()अलेसे II / 611

दिनांक:- 24-9-19

अधिसाषी अभियन्ता,
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग,
जिला ग्रामीण खण्ड प्रथम,
बीकानेर ।

विषय:-विभागीय आदेश संख्या 187/19-20 दिनांक 16.09.2019 एवं
595/19-20 दिनांक 20.09.2019 के क्रम में श्री अशोक कुमार
माली, सलेअ-II को कार्यग्रहण करवाने बाबत ।
संदर्भ:-आपका पत्र क्रमांक 935 दिनांक 23.09.2019 के क्रम में ।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि श्री अशोक कुमार माली, सलेअ-II का विभागीय आदेश क्रमांक 187/19-20 दिनांक 16.09.2019 एवं 595/19-20 दिनांक 20.09.2019 के माध्यम से स्थानान्तरण राज्य सरकार में सक्षम स्तर से स्वीकृति के उपरान्त ही श्री माली, सलेअ-II का स्थानान्तरण किया गया था ।

ऐसी स्थिति में राज्य सरकार के निर्देशानुसार श्री अशोक कुमार माली, सलेअ-II को आपके कार्यालय में रिक्त खण्डीय लेखाकार के पद पर ही अविलम्ब कार्यग्रहण करवाने संबंधी कार्यवाही करें । इस निदेशालय का आदेश स्वयं में स्पष्ट है एवं आपसे अपेक्षा है कि इस संबंध में किसी प्रकार का अग्रिम पत्राचार किये बिना पदस्थापित कार्मिक श्री माली, सलेअ-II को अविलम्ब खण्डीय लेखाकार के पद पर कार्यग्रहण करावाकर सूचित करने का श्रम करें ।

भवदीय,

(मुकुन्द सोहोनी)
निदेशक

क्रमांक :- F3(क)()अलेसे II /

दिनांक :-

प्रतिलिपि:-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1 संयुक्त शासन सचिव , वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर ।
- 2 वित्तीय सलाहकार, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, राजस्थान , जयपुर ।

(अरविन्द दीवान)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-II)